

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 -

तारीख दायर

तारीख फैसला

10/2018/वाद पत्र

12.01.2018

11.06.2018

उनवान

संजय पिता तेजमल गुर्जर नि0 विजयनगर तह0 विजयनगर जिला अजमेर

बनाम

वादी -

10/18

- 1- लालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत नि0 रामपुरा मजरा खामोर तह0 शाहपुरा
- 2- तहसीलदार, शाहपुरा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0

उपस्थित :- श्री अनिल शर्मा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 विरुद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की ग्राम रामपुरा मजरा खामोर आराजी आ0न0 358 रकबा 1.21 है0 स्थित होकर वादी के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रतिवादी नं0 1 एवं उसके भाई मानसिंह व दलेलसिंह पड़ोसी है जिन्होंने वादी की आराजी को लेकर विवाद किया और धीरे धीरे वादी की आराजी पर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि वादी विजयनगर निवास करता है। वादी द्वारा पत्थरगढी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 816/2015 होकर निर्णय दिनांक 08.06.2015 को किया गया जिसकी पालना में हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा 24.10.2016 को पत्थरगढी की गई जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा पाया गया। इसलिये वादी की ओर यह कब्जेयावी का वाद पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। वादी का सिजारी 28.06.2017 को आराजी हांकरने गया तो प्रतिवादी नं0 1 ने विवाद किया और जमीन की हंकाई नहीं करने दी। प्रतिवादी नं0 1 का जो अनाधिकृत कब्जा वादी की आराजी पर है। उसे वेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द कराया जाना आवश्यक है। अतः वादी के पक्ष में व प्रतिवादी नं0 1 के विरुद्ध कब्जेयावी की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि पेरा 1 में वर्णित आराजी न0 358 रकबा 1.21 है0 पर प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराने की डिक्री सादिर प्रदान करावे। आदेश की पालना प्रतिवादी नं0 2 से कराई जावे।

प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 14.03.2018 को प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस वाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार- 2018 अटल सेवा केन्द्र खामोर पर दिनांक 11.06.2018 को वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 - 1 है। अभिभाषक वादी की एक तरफा वहस सुनी गई। वहस में अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में अंकित

प्रमाणित फोटोस्टैंट प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाडा)

तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। वहस पर गनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम रामपुरा (खामोर) संवत 2070 से 73 खाता संख्या 82 आ0न0 358 रकवा 1.21 है0 नामान्तरकरण संख्या 316 निर्णय दिनांक 25.02.2014 वेचान से पूरा खाता संजय पिता तेजमल गुर्जर सा0 विजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। मौका पर्चा पत्थरगढ़ी दिनांक 24.10.2016 भू-अभिलेख निरीक्षक तहनाल अनुसार प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा मौके पर पाया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री यहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी नं0 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम रामपुरा प0ह0 खामोर तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2070 से 73 मे दर्ज आ0न0 358 रकवा 1.21 है किस्म बारानी द्वितीय का कब्जा वादी को प्रतिवादी नं0 1 से दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके 2018 अटल सेवा केन्द्र खामोर पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

टोस्ट प्रो मिनि
द्वार-
उप उपड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाडा)



(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
सहायक कलकत्ता शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाडा)

नकल दरखास्त रजि. नम्बर	शर्दी का नाम
276	शर्दी का नाम
276	शर्दी का नाम
276	शर्दी का नाम
2	शर्दी का नाम
25	शर्दी का नाम
4	शर्दी का नाम
21-68	शर्दी का नाम



श्री १०८०/१८

श्री १०८०/१८

श्री १०८०/१८

डिक्री व मुकदमा इलावाइ

(आर्देर २० नियम ६-७ जास्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)
 बईजलास श्री के०आर० यादव, आ१०१०११०

संजय पिता तेजमल गुर्जर नि० विजयनगर तह० विजयनगर जिला अजमेर
 - वादी

बनाम

- १- लालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत नि० रामपुरा मजरा खागोर तह० शाहपुरा
- २- तहसीलदार, शाहपुरा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा १८३ आ१०१०११०
 मुकदमा नम्बर १० सन् २०१८

यह मुकदमा अज वास्ते इन्फिसल कर्तई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी भिनजानिव मुदई व X भिनजानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाके ग्राम रामपुरा प०ह० खागोर तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संगत २०७० से ७३ मे दर्ज आ०न० ३५८ रकबा १.२१ है किस्म बरानी द्वितीय का कब्जा वादी को प्रतिवादी नं० १ से दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते हैं।

प्रात कोर्टोस्टेज प्रनिशियि
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)

निज मुवलिग, नाबत खर्चा, इस मुकदमें मे रूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयावी तक अदा करे।

नाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख ११ माह ०६ सन् २०१८ से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी की अस्ती
 सहसहायक नुमबर, शाहपुरा
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)

276	मुकदमा दर खर्चा/रकबा
21-6-18	प्रतीक नाम
1	मुकदमा नम्बर
2	मुकदमा नम्बर
21-6-18	मुकदमा नम्बर

